

# छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

(दिसम्बर, 2010 सत्र)

(दिनांक 06 दिसम्बर, 2010 से 10 दिसम्बर, 2010 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिए विभाग के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण.

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>वर्ग - 1</b>			
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री	06 दिसम्बर, 2010	15 नवम्बर, 2010
वित्त	"		
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	"		
ऊर्जा	"		
खनिज साधन	"		
जनसंपर्क	"		
सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	"		
विमानन	"		
जल संसाधन	जल संसाधन मंत्री		
आयाकट	"		
उच्च शिक्षा	"		
तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन	"		
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	"		
आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास	आदिम जाति विकास मंत्री		
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	"		
<b>वर्ग - 2</b>			
गृह	गृह मंत्री	7 दिसम्बर, 2010	15 नवम्बर, 2010
जेल	"		
सहकारिता	"		
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	लोक स्वास्थ्य मंत्री		
चिकित्सा शिक्षा	"		
वाणिज्यिक कर	"		
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास	"		
महिला एवं बाल विकास	महिला एवं बाल विकास मंत्री		
समाज कल्याण	"		
खेल एवं युवा कल्याण	"		
<b>वर्ग - 3</b>			
लोक निर्माण	लोक निर्माण मंत्री	08 दिसम्बर, 2010	16 नवम्बर, 2010
स्कूल शिक्षा	"		
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	"		
संस्कृति	"		
पर्यटन	"		
संसदीय कार्य	"		
वन	वन मंत्री		
सार्वजनिक उपक्रम	"		
जन शिकायत निवारण	"		

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>वर्ग - 4</b>			
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	पंचायत मंत्री	09 दिसम्बर, 2010	16 नवम्बर, 2010
विधि एवं विधायी कार्य	"		
कृषि	कृषि मंत्री		
पशुधन विकास	"		
मछली पालन	"		
श्रम	"		
वाणिज्य एवं उद्योग	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री		
<b>वर्ग - 5</b>			
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री	10 दिसम्बर, 2010	18 नवम्बर, 2010
ग्रामोद्योग	"		
बीस सूत्रीय कार्यान्वयन	"		
नगरीय प्रशासन एवं विकास	नगरीय प्रशासन मंत्री		
आवास एवं पर्यावरण	"		
परिवहन	"		

- नोट :-**
1. विवरण के कालम (3) व (4) में उल्लेखित दिनांक कालम (1) में दिये गये वर्ग के संपूर्ण विभागों को लागू होंगे.
  2. सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में कार्यालय समय में प्राप्त की जावेगी.
  3. प्रश्नों की सूचना छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रदाय किए गए तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के मूल प्रपत्र पर ही मान्य की जावेगी.
  4. फैंक्स से प्राप्त सूचनाएं संज्ञान में नहीं ली जाएगी.

रायपुर  
दिनांक : 12 नवम्बर, 2010

**देवेन्द्र वर्मा**  
सचिव,  
छत्तीसगढ़ विधानसभा

पृ.क्र. 11045/वि.स./प्रश्न/2010

रायपुर, दिनांक : 12 नवम्बर, 2010

**प्रतिलिपि :-**

1. समस्त माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा

**देवेन्द्र वर्मा**  
सचिव,  
छत्तीसगढ़ विधानसभा